न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 176/2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. किशनलाल पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, सेहवाज तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0। 2. मोताई पत्नी समाराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास, सेहवाज तह0 मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राज0।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत उप0।

–: निर्णय :– दिनांक :– 03/09/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम केलवाद पटवार हल्का केलवाद, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 1002/876 रकबा 0.1200 है0 में पंहुच हेतु सिवायचक कृषि भूमि खसरा नम्बर 900 रकबा 19.8000 है0 में से आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा केलवाद के खसरा नंबर 900 में से प्रा0पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे परिशिष्ठ क में 'अ,ब,स,द' दर्शाये अनुसार दिलाये जाने की ईस्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूबे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2025/1262 दिनांक 03.09.2025 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व ग्राम केलवाद के ख0नं0 1002/876 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं हैं। मौका निरीक्षण में पाया कि खसरा नं0 1002/876 के खातेदार ख0नं0 900 किस्म गै0मु0 खारच में से होकर जो रास्ता चल रहा हैं। उसी रास्ते का प्रयोग आने जाने हेतु करते है। जिसकी दूरी नियमानुसार अधिक हैं। मौके पर रास्ते के निशानात मौजूद हैं। मौके पर अनुसार चालू रास्ता जिसकी दूरी अधिक है। लाल स्याही से दर्शित हैं। ए से बी चालू रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 360 मी0 व 5 मीटर हैं। निकटतम प्रस्तावित रास्ता सी से बी ख0 सं0 886 में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 130 मी0 व 5 मीटर, ख0नं0 884 में से रास्ता की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 68 मी0 व 5 मीटर तथा ख0नं0 877 में से रास्ता की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 92 मी0 व 5 मीटर हैं। राजस्व नक्शे अनुसार ख0नं0 1002/876 में आने जाने के लिए ए से बी प्रचलित रास्ते की दूरी अधिक है व नजरी नक्शे में सी से बी प्रस्तावित रास्ते की दूरी निकटतम हैं, की रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 1002/876 में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा केलवाद के खसरा नंबर 900 में से प्रा0पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे परिशिष्ठ क में 'अ,ब,स,द' दर्शाये अनुसार 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251

उपखण्ड अधिकारी

(क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम केलवाद पटवार हल्का केलवाद, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1002/876 में पंहुच हेतु सिवायचक ख.नं. 900 में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (3,40,000/–रू0 × 2 × 0.1080 है0 = 73,440/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	900 गै0मु0 खारच	19.8000	राज0 सरकार	360 मी0× 3 मी0 = 0.1080 है0	73,440/– रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 09/09/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर, सोजत
सोजत (राज.)